

बजट अनुमान 2020-21 में योजनावार प्रावधान

(आंकड़े हजार रुपयों में)

योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान
283	अम्बिकापुर जल प्रदाय गृह	12,50
1413	जगदलपुर जल प्रदाय गृह	10,00
1785	झुगी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	9,41,00
2122	नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन योजना का क्रियांवयन	71,29
3102	भिलाई जल प्रदाय गृह	18,20
3374	मनेन्द्रगढ़ जल प्रदाय गृह	22,00
3720	रायपुर जल प्रदाय योजना	30,50
4035	विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्ति	76,33,91
5061	एफ.एल.लाइसेन्स फीस की राशि से नगर निकायो को अनुदान	17,10,00
5761	जशपुर नगर जल प्रदाय योजना	6,10
6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	13,50
6148	नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय	3,79,70
6421	पौनी पसारी योजना	30,00,00
6424	शहरी क्षेत्रों में गोठान निर्माण	50,00,00
6429	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	350,00,00
6431	मुख्यमंत्री मितान योजना	10,00,00
6432	मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय की स्थापना	5,00,00
7241	नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	511,55,49
7260	नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	82,48,51
7306	सामान्य उद्देश्यीय अनुदान	8,00,00
7329	विशिष्ट प्रयोजनार्थ	10,00,00
7442	संभागीय कार्यालय की स्थापना	4,70,18
7610	स्वच्छ भारत अभियान	10,00,00
7675	चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	104,80,00
7681	वाटर ए.टी.एम. की स्थापना	5,00,00
7685	स्मार्ट सिटी	396,00,00
7706	अमृत मिशन	300,00,00
7709	सबके लिये आवास योजना	415,00,00
7761	शिक्षको का वेतन	11,00,00

बजट अनुमान 2020-21 में योजनावार प्रावधान

(आंकड़े हजार रुपयों में)

योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान
7845	नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना	80,00,00
7919	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	3,25,00
7948	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	8,69,20
7958	जल परीक्षण प्रयोगशाला	5,00,00
8017	वाहनों पर कर से प्राप्त आगम से शहरीय स्थानीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान	5,40,00
8018	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान	1000,00,00
8400	चांपा जल प्रदाय योजना	10,00
8666	राज्य उत्पादकर से नगरीय निकायो को अनुदान	10,47,32
8996	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	50,00,00
9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान	8,00,00
योग		3582,94,40